रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33 4/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1170] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 2006/आश्विन 12, 1928
No. 1170] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2006/ASVINA 12, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1697 अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

आदेश

श्री जे. एन. शु ा, संपादक, आखिर कब तक, लखनऊ द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री अमर सिंह, आसीन संस सदस्य (राज्य सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 14 फरवरी, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याचि यह प्रकथन किया है कि श्री अमर सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के एक आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश विकास परिष के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जो संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अर्थान्तर्गत अभिकथित रू से लाभ का पद है;

और राष्ट्रपति द्व संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 28 फरवरी, 2006 के एक निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग राय मांगी गई है कि क्या श्री अमर सिंह संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य (राज्य सभा) होने लिए निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं;

और निर्वाचन ोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्री अमर सिंह की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 (2006 का 31) के कारण भूतलक्षी प्रभाव हट गई है;

अत:, अब, मैं ा.प.जे. अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह नेश्चय करता हूं कि श्री अमर सिंह, उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति के कारण जैसा कि याचिका में अभिकथ किया गया है, संसद् सदस्य (राज्य सभा) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं।

भारत का राष्ट्रपति

27 सितम्बर, 2 6

[फा. सं. एच. 11026 (21)/2006-वि. II]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य श्री अमर सिंह की अभिकथित निरर्हता ।

2006 का निर्देश मामला सं. 2

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन तारीख 28 फरवरी, 2006 का एक निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री अमर सिंह संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) के अधीन राज्य सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।

2. ऊपर उल्लिखित निर्देश, श्री जे.एन. शुक्ला, संपादक, आखिर कब तक, लखनऊ की तारीख 14-02-06 की एक याचिका से उद्भूत हुआ है, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि श्री अमर सिंह (प्रत्यर्थी) को उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किए गए तारीख 15-10-2003 के एक कार्यालय आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश विकास परिषद् (संक्षेप में यूपीडीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। याची ने यह कथन किया कि उक्त आदेश में यह उपबंध था कि प्रत्यर्थी को मंत्री की हैसियत होगी और वह उत्तर प्रदेश सरकार के गोपनीय अनुभाग के तारीख 22 मार्च, 1991 के कार्यालय आदेश संख्यांक 14-1-4687 सीएक्स (1) के अनुसार सभी परिलब्धियों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा । याची ने यह दलील दी कि यूपीडीसी के अध्यक्ष का पद उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एक पद है और वह संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थान्तर्गत एक लाभ का पद है, और इसलिए प्रत्यर्थी ने राज्य सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हता उपगत की थी ।

3. आयोग ने 10-3-2006 को प्रत्यर्थी को एक सूचना जारी की, जिसमें उससे 31-3-06 तक इस मामले में अपना उत्तर फाइल करने के लिए कहा गया था । 31-3-2006 को, प्रत्यर्थी ने अपने काउंसेल के माध्यम से एक संक्षिप्त उत्तर फाइल किया जिसमें यह कथन किया गया कि याचिका भ्रामक है । प्रत्यर्थी ने इस आधार पर कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से कतिपय सूचना और दस्तावेज मांग रहा था, ब्यौरेवार उत्तर फाइल करने के लिए छह सप्ताह का और समय मांगा । आयोग ने अभ्यर्थी को और उत्तर फाइल करने के लिए 24-04-2006 तक का समय दिया था। 24-04-2006 को प्रत्यर्थी ने इस आधार पर कि वह अभी भी और सूचना एकत्रित करने के लिए कार्यवाही कर रहा था, अपना उत्तर फाइल करने के लिए और समय बढ़ाए जाने की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया । इसके साथ ही, प्रत्यर्थी ने एक अन्य संक्षिप्त उत्तर फाइल किया जिसमें अन्य बातों के साथ, यह कथन किया गया था कि उसे प्रदान किया गया संघ मंत्री का रैंक केवल सम्मान के लिए हैसियत थी और वह किसी धनीय फायदे के लिए नहीं था । उसने यह और कथन किया कि उसने यूपीडीसी के अध्यक्ष के पद के लिए कोई संदाय या भत्ते कभी भी नहीं लिए। आयोग ने समय के और विस्तारण के अनुरोध पर विचार किया और अंतिम अवसर के रूप में 25-05-2006 तक का समय अनुज्ञात कर दिया। तथापि, प्रत्यर्थी द्वारा कोई और उत्तर फाइल नहीं किया गया । तब आयोग ने 16-06-2006 के लिए इस मामले की सुनवाई नियत की । सुनवाई से पूर्व आयोग को 9 जून, 2006 को एक तारीख 20 मई, 2006 का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जो याची द्वारा हस्ताक्षर किया गया तात्पर्यित था और जिसमें यह कथन किया गया था कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् अधिनियम, 2006 के कारण यूपीडीसी एक स्थानीय निकाय बन गया था और इस कारण कोई निरर्हता नहीं होगी और इसलिए वह अपनी याचिका वापस ले रहा है । याची 16-06-06 को सुनवाई के लिए उपसंजात नहीं हुआ । श्री प्रदीप कुमार, विद्वान काउंसेल प्रत्यर्थी की ओर से उपसंजात हुए किंतु उन्होंने एक ब्यौरेवार उत्तर फाइल करने के लिए और समय दिए जाने का अनुरोध किया और सुनवाई स्थगित किए जाने की मांग की । उन्होंने यह भी कथन किया कि उन्हें, याचिका वापस लेने का अनुरोध करने वाले याची के अंतिम आवेदन पर विचार करने के लिए समय की आवश्यकता है । आयोग ने सुनवाई 5-7-2006 तक स्थगित कर दी ।

4. तारीख 12-06-06 को श्री अमर सिंह द्वारा एक आवेदन फाइल किया गया था, जिसके साथ उत्तर प्रदेश विकास परिषद् अधिनियम, 2006 की एक प्रति संलग्न की गई थी । उक्त अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार, यूपीडीसी को सभी प्रयोजनों के लिए एक स्थानीय निकाय माना जाएगा । प्रत्यर्थी ने इस उपबंध का उल्लेख करते हुए यह दलील दी कि चूंकि प्रश्नगत पद स्थानीय निकाय का पद था इसलिए अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन कोई निरर्हता उपगत नहीं हुई थी ।

5. तारीख 5-07-06 की सुनवाई में याची भी उपसंजात हुआ और उसने इस बात से इंकार किया कि उसने अपनी याचिका को वापस लेने के लिए तात्पर्यित तारीख 20-5-2006 का ऊपर निर्दिष्ट पत्र लिखा था । उसने अपनी इस दलील को दोहराया कि प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन लाभ का पद था और प्रत्यर्थी को निरर्हित घोषित किया जाना चाहिए । प्रत्यर्थी के लिए उपसंजात हुए विद्वान काउंसेल श्री प्रदीप कुमार ने यू.पी. विकास परिषद अधिनियम, 2006 का और उसमें अंतर्विष्ट इन उपबंधों का अवलंब लिया कि यू.पी. विकास परिषद् एक स्थानीय निकाय है और परिषद् के अध्यक्ष का पद एक अवैतनिक पद है । उसने यह दलील दी कि चूंकि उक्त अधिनियम को 15-10-2003 से, जिस तारीख को श्री अमर सिंह को यूपीडीसी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था, भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया था इसलिए उक्त पद धारण करने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा कोई निरर्हता उपगत नहीं की गई थी ।

6. आयोग ने ोडीसी के एक स्थानीय निकाय और उसके अध्यक्ष के पद को एक अवैतनिक पद होने से संबंधित दलीलों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनि के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए तारीख 27-7-2006 के पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से यह सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा कि क्या श्र अमर सिंह ने उ.प्र. विकास परिषद् अधिनियम, 2006 के अधिनियमन से पूर्व यूपीडीसी के अध्यक्ष के रूप में कोई पारिश्रमिक/प्रसुविधाएं प्रा की थीं। राज्य सरकार से लगभग दो सप्ताह तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए आयोग ने तारीख 11-8-2006 को उन्हें पुन: एक पत्र लिख जिसमें उनसे 25-8-2006 तक निश्चित रूप से अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार ने 24-8-2006 को एक र प्रस्तुत किया, जिसमें यह कथन किया गया था कि प्रत्यर्थी को किसी मानदेय या भत्ते का संदाय नहीं किया गया था और उसे उ.प्र. विकास प द् के अध्यक्ष के रूप में कोई अन्य प्रसुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

7. इसी दौरान 959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया उसे राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18-8-2006 को अधिसूचित किया गया। इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21-8-2006 को वि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी। संशोधन अधिनियम द्वारा, अन्य पदों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के अध्यक्ष के पद को मूल धिनियम की धारा 3 (ट) के अधीन एक ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य ने के लिए निरर्हित नहीं होगा। मूल अधिनियम के इस संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है।

8. 2006 के र उल्लिखित संशोधन अधिनियम का वर्तमान निर्देश मामले से सीधा संबंध है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है। 1959 के मूल अधि ाम की धारा 3 के खंड (ट) के उपबंधों को 4-4-1959 से प्रवृत्त किया गया है। यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102(1)(क) अधीन, संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना [1970(2)एस सी आर 838] में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक ति को मान्य ठहराता है। पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संब त निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी। श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से स धत निर्देश मामले (1980 का 4) में, आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा (नि र्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त वर्गों के अंतर्गत लाया गया था। उस मामले में, आयोग ने अपनी तारीख 21-5-1981 की राय में यह मत व्यक्त किया कि निरर्हताएं, यदि ोई हों, उनके मामलों में हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है। इसी प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा क सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला [2005 का 2(जी)] में, राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवा ां लंबित रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में एक संशोधन पारित किया। उस मामले में भी आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता, यदि कोई हो, विधि के संशोधित उपबंधों के आधार पर हट गई है। पुन:, हाल ही एक अन्य मामले [2006 का निर्देश मामला संख्या 65(जी) से 70(जी)] में मणिपुर के 6 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता स संबंधित श्री वाई. मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने, संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले, मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा प त संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निरर्थक हो गया है। वर्तमान मामला भी तथ्यों और परिस्थितियों में ऊप र्दिष्ट मामलों के समान ही है और उ.प्र. विकास परिषद् के अध्यक्ष के पद के संबंध में निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने वाली विधि के शोधित उपबंध पूर्ण रूपेण इस मामले को लागू होते हैं।

9. उपर्युक्त सा धानिक, विधिक और ताथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुविचारित मत है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्री अमर सिंह ी अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनि , 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है। तदनुसार राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत निव न आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि श्री अमर सिंह, उनकी उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के अध्यक्ष : पद पर नियुक्ति के कारण अनुच्छेद 102(1)(क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है।

ह.-
(एस. व कुरेशी)
निर्वाचन ायुक्त

ह./-
(एन. गोपालस्वामी)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

ह./-
(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 8 सितम्बर, 2 06

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2006

S.O. 1697(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas, a petition dated the 14th February, 2006 of alleged disqualification of Shri Amar Singh, a sitting Member of Parliament (Rajya Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri J.N. Shukla, Editor, Aakhir Kab Tak, Lucknow;

And, whereas, the said petitioner has averred that Shri Amar Singh was appointed as Chairman of the Uttar Pradesh Development Council by an order of the Industrial Development Department of the Government of Uttar Pradesh, which is alleged to be an office of profit within the meaning of sub-clause (a) of Clause (1) of article 102 of the Constitution;

And, whereas, the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated 28th February, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Amar Singh has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Rajya Sabha) under sub-clause (a) of Clause (1) of article 102 of the Constitution;

And, whereas, the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that the question of alleged disqualification of Shri Amar Singh, raised in the present petition, has now become infructuous as the alleged disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006 (31 of 2006);

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that Shri Amar Singh has not become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Rajya Sabha) on account of his appointment to the office of Chairman of the Uttar Pradesh Development Council, as alleged in the petition.

President of India

27th September, 2006.

[F. No. H-11026 (21)/2006-Leg. II]

Dr. B.A. AGARWAL, Addl. Secy.

ANNEXURE

In re :

Alleged disqualification of Shri Amar Singh, Member of Parliament under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Reference Case No. 2 of 2006

[References from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This is a reference dated 28th February, 2006, from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Amar Singh has become subject to disqualification for being Member of the Rajya Sabha, under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The above mentioned reference arose out of a petition dated 14-2--2006 of Sh. J. N. Shukla, Editor, Aakhir Kab Tak, Lucknow, alleging that Shri Amar Singh (respondent) was appointed as Chairman of the Uttar Pradesh Development Council (UPDC in short), by an office order dated 15-10-2003, issued by the Industrial Development Department of the Government of Uttar Pradesh. The petitioner stated that the said order provided that the respondent would have the status of a Minister and would be entitled to all perks and privileges as per office order No. 14-1-4687 CX(I), dated 22nd March, 1991, of the Confidential Section of the Government of Uttar Pradesh. The petitioner submitted that the office of Chairman of the UPDC is an office under the Uttar Pradesh Govt. and an office of profit within the meaning of Article 102(1)(a) of the Constitution, and hence the respondent had incurred disqualification to be a member of the Rajya Sabha.

3. The Commi ion issued notice to the respondent on 10-3-2006, asking him to file his reply in the matter by 31-3-2006. On 31-3-20(the respondent, through his counsel, filed a short reply stating that the petition was misconceived. The respondent sough urther time of six weeks to file a detailed reply, on the ground that he was seeking certain information and docum ts from the Uttar Pradesh Government. The Commission granted the respondent time upto 24-4-2006 to file further reply)n 24-4-2006, the respondent submitted an application seeking another extension of time to file his reply, on the ground th he was still in the process of collecting more information. Simultaneously, the respondent filed another short reply stat :, inter alia, that the rank of Cabinet Minister, conferred on him was only a decorative status and not for any monetary l iefit. He further stated that he had never drawn any payment or allowances for the office of Chairman of UPDC. Th :ommission considered the request for further extension of time, and allowed time upto 25-5-2006 as the final opportunity owever, no further reply was filed by the respondent. The Commission then fixed a hearing in the matter for 16-6-2006. P ›r to the hearing, a letter dated 20th May, 2006, was received in the Commission on 9th June, 2006, purportedly signed by t petitioner, in which it was stated that by virtue of the Uttar Pradesh Development Council Act, 2006, the UPDC had b› ›me a local authority, that there would be no disqualification and hence he was withdrawing his petition. The petitioner 1 not appear for the hearing on 16-6-06. Shri Pradeep Kumar, learned counsel appeared on behalf of the respondent but re iested for more time to file a detailed reply and sought adjournment of the hearing. He also stated that he needed time to c sider the latest application of the petitioner withdrawing the petition. The Commission adjourned the hearing to 5-7-2006

4. On 12-6-06 ι application was filed by Shri Amar Singh, enclosing a copy of the Uttar Pradesh Development Council Act, 2006. As p Section 3(3) of the said Act, the UPDC is to be deemed to be a local authority for all purposes. The respondent, referring t(iis provision, contended that since the office in question was in a local authority, there was no disqualification attracte ınder Article 102(1)(a).

5. At the hearir on 5-7-06, the petitioner also appeared, and he denied that he had written the above referred letter dated 20-5-2006 purpor ıg to withdraw his petition. He reiterated his contention that the office held by the respondent was an office of profit unde :he Govt. of UP and that the respondent should he declared disqualified. Shri Pradeep Kumar, learned counsel appeari ; for the respondent relied on the UP Development Council Act, 2006, and the provisions therein that the UP Developm t Council would be a local authority and the office of Chairman of the Council would be an honorary office. He co tended that since the said Act had been brought into force with retrospective force, with effect from 15-10-2003 he date on which Shri Amar Singh was appointed to the office of Chairman of the UPDC, there was no disqualification incu ed by the respondent by virtue of holding the said office.

6. In view of th :ontentions about the UPDC being a local authority and the office of Chairman being an honorary position, the Commissi , in order to examine the effect of the said Act, asked the Uttar Pradesh Government, vide letter dated 27-7-2006, to furı h information whether Shri Amar Singh had received any remuneration/facilities as Chairman of the UPDC, prior to the e ıctment of the UP Development Council Act, 2006. As there was no response from the State Govt. for about two weeks, the ommission wrote to them again, on 11-8-2006, asking them to furnish the requisite information by 25-8-2006, positively. T : State Government furnished a reply on 24-08-2006, stating that the respondent had not been paid any honorarium or allo nce and that he was not provided any other facilities as Chairman of UP Development Council.

7. In the mean ile, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Principal Act of 1959, was enacte by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18-8-2006. A copy of this Amendment Act was received : ·m the Ministry of Law and Justice on 21-8-2006. By the Amendment Act, the office of Chairman of the Uttar Pradesh De lopment Council, among others, has been declared under Section 3 (k) of the Principal Act, as an office the holder of whi shall not be disqualified for being chosen as, and for being Member of Parliament. This amendment to the Principal A has been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959.

8. The above n ntioned Amendment Act of 2006 has a direct bearing on the present reference case. As mentioned above, the provisions o: lause (k) of Section 3 of the Principal Act of 1959 have been brought into force with effect from 4-4-1959. It is a settled ›sition that under Article 102(1)(a), the Parliament is empowered to declare, with retrospective effect, an office to be an fice the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in Smt. Kanta Kathuria *vs.* M. Manak (:and Surana [1970 (2) SCR 838] upholds this constitutional position. In the past also, the Commission has taken cognizaı e of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect, even as enquiry into the references concerned w in progress. In the reference case (No.4 of 1980) regarding alleged disqualification of Sh. Gaya Lal and 23 other members (he Haryana Legislative Assembly, during the pendency of the reference before the Commission, the Haryana State Legis ture amended the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974, twice by virtue of which the offi : held by the said MLAs were brought under the exempted categories. In that case, the Commission, in its opinion date 21-05-1981 held the view that the disqualifications, if any, stood removed in their cases and the reference became infru uous. Similarly, in a reference case [No. 2(G) of 2005,] relating to alleged disqualification of Shri Mohd. Azam Khan for : :mbership of Uttar Pradesh Legislative Assembly, the State Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State egislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, during the pendency of the proceedings before the Commission n that matter also, the Commission tendered its opinion to the effect that disqualification, if any, stood removed in view the amended provisions of the law. Again in another recent case [Reference Case Nos. 65(G) to

3190 GI/06-

70 (G) 2006] on the petition of Sh. Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur, the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature, exempting the offices concerned from disqualification, and opined that the reference had been rendered infructuous. The present case is also similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provisions of law removing the disqualification, if any, in respect of the office of Chairman of the Development Council squarely apply in this case.

9. Having regard to the above constitutional, legal and factual position, the Commission is of the considered view that the question of alleged disqualification of Shri Amar Singh,raised in the present petition, has now become infructuous as the alleged disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006. Accordingly, the reference from the President is returned with the Commission's opinion to the effect that Shri Amar Singh is not subject to disqualification under Article 102(1)(a) on account of his appointment to the office of Chairman of the Uttar Pradesh Development Council.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(S. Y. Quraishi)	(N. Gopalaswami)	(Navin B.Chawla)
Election Commissioner	Chief Election Commissioner	Election Commissioner

Place : New Delhi
Dated : 8th September, 2006

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1698(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री मनोरंजन हाजरा, अधिवक्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय और सदस्य, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खण्ड (1) के अधीन श्री प्रणव मुखर्जी, आसीन संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 4 अप्रैल, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री प्रणव मुखर्जी, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे हैं जो अभिकथित रूप से लाभ का पद है;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खण्ड (2) के अधीन तारीख 12 अप्रैल, 2006 के एक निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री प्रणव मुखर्जी संविधान के अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त, 2006 को प्रकाशित कर दिया गया था;

और संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खण्ड (ii) द्वारा 4 अप्रैल, 1959 से यथा अंत:स्थापित संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के खण्ड (त) द्वारा प्लानिंग बोर्ड (एशियाटिक सोसाइटी), कोलकाता के अध्यक्ष के पद को, अन्य पदों के साथ, ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसको धारक संसद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्री प्रणव मुखर्जी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के उपबंधों के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है;

अत:, अब, मैं, आ.प.जै. अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खण्ड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूँ कि श्री प्रणव मुखर्जी, एशियाटिक सोसाइटी के प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति के कारण, जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है।

भारत का राष्ट्रपति

27 सितम्बर, 2006.

[फा. सं. एच. 11026 (25)/2006-वि. II]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102((क) के अधीन संसद् सदस्य श्री प्रणव मुखर्जी की अभिकथित निरर्हता ।

2006 का निर्देश मामला सं. 40

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन प्राप्त तारीख 12 अप्रैल, 2006 के इस निर्देश में इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है क्या श्री प्रणव मुखर्जी संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।

2. ऊपर उल्लिखि निर्देश, श्री मनोरंजन हाजरा, अधिवक्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय और सदस्य, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता की तारीख 4 अप्रैल, 2006 याचिका से उद्भूत हुआ है। याचिका में, याची ने श्री प्रणव मुखर्जी (प्रत्यर्थी) की अभिकथित निर्हता का प्रश्न इस आधार पर उठाया है कि वे यायाटिक सोसाइटी, कोलकाता के प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे थे, जो याची के अनुसार सरकार के अधीन एक लाभ का पद और उसने यह अनुरोध किया कि इस प्रश्न की, इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए, जांच की जाए ।

3. याचिका में प्र र्ी की उक्त पद पर नियुक्ति की तारीख और नियुक्ति के निबंधन और शर्तों के संबंध में अन्य ब्यौरों से संबंधित आधारभूत जानकारी भी नहीं । इसलिए, आयोग ने 24-4-2006 को याची को, इन पहलुओं पर विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक सूचना जारी की। किसी सद की किसी पद पर नियुक्ति की तारीख यह अवधारित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि क्या मामला अनुच्छेद 103(1) के निबंध के अनुसार विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा [देखिए निर्वाचन आयो नाम साका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201); बृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एस सी 1892); निर्वाचन आ ोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609)] यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाच आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात् नियुक्त किया गया है । याची को इस संबंध में विनिर्दिष्ट सूचना 15-5-2006 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

4. याची ने 17-5 2006 को एक उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें एक अस्पष्ट कथन किया गया था कि प्रत्यर्थी को दिसम्बर, 2004 के पश्चात् प्लानिंग बोर्ड के अ क्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। इस कथन के समर्थन में, केवल श्री जयपाल रेड्डी, संघ के सूचना और प्रसारण मंत्री के 8 अक्तूबर, 04 को एशियाटिक सोसाइटी में दिए गए भाषण का एक उद्धरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सोसाइटी के प्लानिंग बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्य ता के संबंध में उल्लेख किया गया था। याची ने एशियाटिक सोसाइटी के मासिक बुलेटिन की एक फोटोप्रति भी प्रस्तुत की, जिसमें प्रत्यर्थी क एक फोटो अंतर्विष्ट था और फोटोग्राफ के शीर्षक में प्रत्यर्थी का उल्लेख एशियाटिक सोसाइटी के प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किया गय था। तथापि, निर्णायक रूप से यह दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था कि अभिकथित नियुक्ति प्रत्यर्थी के वर्ष 200- के साधारण निर्वाचन में लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् की गई थी। चूंकि याची ऐसी अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में सम नहीं था, जिससे कि आयोग राष्ट्रपति को अपनी राय प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके, इसलिए आयोग ने अपने तारीख 24-7-2006 के पत्र द्व केन्द्रीय सरकार के संस्कृति मंत्रालय को याचिका में उल्लिखित पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख से संबंधित जानकारी 5-8-2006 तक प्र ुत करने के लिए कहा । तथापि, उस मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया ।

5. इस प्रकार जब यह मामला आगे और कार्रवाई किए जाने के लिए आयोग के विचाराधीन था उस समय, 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए स द् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया था और जिसे राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18-8-2 6 को अधिसूचित किया गया था। इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21-8-2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी। संशोधन अ नियम द्वारा, अन्य पदों के साथ, एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 5) की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित प्ला बोर्ड (एशियाटिक सोसाइटी) के अध्यक्ष के पद को मूल अधिनियम की धारा 3(ट) के अधीन एक ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, सका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के इस संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।

6. 2006 के ऊपर उल्लिखित संशोधन अधिनियम का वर्तमान निर्देश मामले से सीधा संबंध है । जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ट) के उपबंधों को 4-4-1959 से प्रवृत्त किया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन, संसद भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना [1970(2)एससी आर 838] में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधिनिर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले (1980 का 4) में, आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त प्रवर्गों के अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में, आयोग ने अपनी तारीख 21-5-1981 की राय में यह मत व्यक्त किया कि निरर्हताएं, यदि कोई थी, उनके मामलों से हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है । इसी प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला [2005 का 2(जी)] में, राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में एक संशोधन पारित किया । उस मामले में भी आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता, यदि कोई थी, विधि के संशोधित उपबंधों के आधार पर हट गई है । पुन:, हाल ही में एक अन्य मामले [2006 का निर्देश मामला संख्या 65(जी) से 70(जी)] में मणिपुर के 6 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित श्री वाई. मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने, संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले, मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निरर्थक हो गया है । वर्तमान मामला तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के समान ही है और उनकी निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध पूर्णरूपेण उनके मामले को लागू होते हैं ।

7. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और तात्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुविचारित मत है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्री प्रणव मुखर्जी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है। (तदनुसार राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि श्री प्रणव मुखर्जी, उनकी एशियाटिक सोसाइटी के प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर अधिकथित नियुक्ति के कारण जैसा कि याचिका में अभिकथित है, अनुच्छेद 102(1)(क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस.वाई.कुरैशी)	(एन. गोपालस्वामी)	(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 8 सितम्बर, 2006

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2006

S.O. 1698(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a petition dated the 4th April, 2006 of alleged disqualification of Shri Pranab Mukherjee, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Manoranjan Hazra, Advocate, Calcutta High Court and Member, Asiatic Society, Kolkata;

And, whereas, the said petitioners has averred that Shri Pranab Mukherjee was holding the post of Chairman of Planning Board, Asiatic Society, Kolkata, which is alleged to be an office of profit;

And, whereas, the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 12th April, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Pranab Mukerjee has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And, whereas, during the pendency of the proceedings before the Election Commission, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 was enacted by Parliament and published after the assent of the President on the 18th August, 2006;

And, whereas, by clause (k) of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, as inserted with effect from the 4th day of April, 1959, *vide* clause (ii) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, the office of Chairman of the Planning Board (Asiatic Society), Kolkata, among others, has been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a Member of Parliament:

And, whereas, t Election Commission has given its opinion *(vide* Annex) that the question of alleged disqualification of Shri P nab Mukherjee, raised in the present petition, has now become infructuous as the alleged disqualification, if any, sta ls removed with retrospective effect by virtue of the provisions of the Parliament (Crevention of Disqualification) Amen ient Act, *2006*;

Now, therefore, I A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Cor itution, do hereby decide that Shri Pranab Mukherjee has not become subject to disqualification under sub-clause (a) of cl se (1) of article 102 of the Constitution, for being a Member of Parliament (Lok Sabha) on account of his appointmc o the office of the Chairman of the Planning Board, Asiatic Society, as alleged in the petition.

President of India

27th September, 06. [F. No. H-11 026 (25)/2006-Leg. II]

Dr. B. A. AGARWAL, Addl. Secy.

ANNEXURE

In *re*:

Alleged disqualification Shri Pranab Mukherjee, Member of Parliament under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Reference Case No. 40 of 2006

eference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

The present refe ice dated 12th April, 2006, from the President of India, under Article 103(2) of the Constitution, seeks the opinion of the lection Commission on the question whether Sh. Pranab Mukherjee has become subject to disqualification for being lember of the Lok Sabha under Article 102(1)(a) of the Constitution.

2. The above n ntioned reference arose on the petition dated 4th April, 2006, from Sh. Manoranjan Hazra, Advocate Calcutta High urt and Member, Asiatic Society, Kolkata. In the petition, the petitioner has raised the question of alleged disqualificatio f Sh. Pranab Mukherjee (respondent) on the ground that he was holding the post of Chairman of Planning Board, Asiat Society, Kolkata, which, according to the petitioner, is an office of profit under the Government and he requested that the uestion may be enquired into for taking necessary action.

3. The petition l not contain even the basic information about the date of appointment of the respondent to the said office or any details garding the terms and conditions of the appointment. The Commission, therefore, issued notice to the petitioner on 24-4- 06 to furnish specific information on these aspects. The date of appointment of a Member to an office is vital to determin whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103(1). It is well settled by catena f decisions of the Supreme Court [see Election Commission *Vs.* Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs lection Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N. G. Ranga (AIR 1978 SC 1609)] that under Article 3 of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to whi the Members of Parliament are appointed after their election as such Members. The Petitioner was asked to furnish spec ic information in that regard by 15-5-2006.

4. The peritione submitted a reply, on 17-5-2006, making a vague statement that the respondent was appointed to the office of Chairman o planning Board after December, 2004. In support of this statement, all that was submitted was an extract from the speech c Sh. Jaipal Reddy, Union Minister of Information and Broadcasting, at the Asiatic Society, on 8th October, 2004, in which ere was a mention about the need to reconstitute the Planning Board of the Society. The petitioner also submitted a photo c y of the monthly bulletin of the Asiatic Society, containing a photograph of the respondent, the caption of which descril l the respondent as the Chairman of Planning Board of the Asiatic Society. However, there was no document to conclusi ly show that the alleged appointment was made after the election of the respondent as a Member of the Lok Sabha at the C ieral Election in 2004. As the petitioner was not able to furnish the requisite information to enable the Commission to tend the opinion to the President, the Commission, *vide* its letter dated 24-7-2006, asked the Central Govt. in the Ministry of C lture to furnish, by 5-8-2006, the information regarding the date of appointment of the respondent to the office mentioned the petition. However, that Ministry did not submit any reply.

3140 GI/06-3

5. While the matter was thus under consideration of the Commission for further action, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Principal Act of 1959, was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18-8-2006. A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21-8-2006. By the Amendment Act, the office of Chairman of the Planning Board (Asiatic Society) established under sub-section (1) of Section 8 of the Asiatic Society Act, 1984 (5 of 1984) among others, has been declared under Section 3 (k) of the Principal Act, as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being, Member of Parliament. This amendment to the Principal Act has been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959.

6. The above mentioned Amendment Act of 2006 has a direct bearing on the present reference case. As mentioned above, the provisions of clause (k) of Section 3 of the Principal Act of 1959 have been brought into force with effect from 4-4-1959. It is a settled position that under Article 102(1)(a), the Parliament is empowered to declare, with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in *Smt. Kanta Kathuria vs. M Manak Chand Surana* [1970 (2) SCR 838] upholds this constitutional position. In the past also, the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect, even as enquiry into the references concerned was in progress. In the reference case (No.4 of 1980) regarding alleged disqualification of Sh. Gaya Lal and 23 other members of the Haryana Legislative Assembly, during the pendency of the reference before the Commission, the Haryana State Legislature amended the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974, twice by virtue of which the offices held by the said MLAs were brought under the exempted categories. In that case, the Commission, in its opinion dated 21-05-1981 held the view that the disqualifications, if any, stood removed in their cases and the reference became infructuous. Similarly, in a reference case [No. 2(G) of 2005] relating to alleged disqualification of Shri Mohd. Azom Khan for membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly, the State Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, during the pendancy of the proceedings before the Commission. In that matter also, the Commission tendered its opinion to the effect that disqualification, if any, stood removed in view of the amended provisions of the law. Again, in another recent case [Reference Case Nos. 65(G) to 70 (G) 2006] on the petition of Sh. Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur, the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature, exempting the offices concerned from disqualification, and opined that the reference had been rendered infructuous. The present case is similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provisions of law removing the disqualification, if any, squarely apply in this case as well.

7. Having regard to the above constitutional, legal and factual position, the Commission is of the considered view that the question of alleged disqualification of Sh. Pranab Mukherjee raised in the present petition has now become infructuous as the alleged disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act 2006. Accordingly, the reference from the President is returned with the Commission's opinion to the effect that Sh. Pranab Mukherjee is not subject to disqualification under Article 102(1)(a) on account of his alleged appointment to the office of Chairman of the Planning Board. Asiatic Society, as alleged in the petition.

Sd./-	Sd./-	Sd./-
(S. Y. Quraishi)	(N. Gopalaswami)	(Navin B. Chawla)
Election Commissioner	Chief Election Commissioner	Election Commissioner

Place : New Delhi
Dated : 8th September, 2006

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1699(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

आदेश

निम्नलिखित याचिकाएं, अर्थात् :-

(i) श्री रतन लाल नाथ, विपक्षी नेता, त्रिपुरा विधान सभा की तारीख 15 मार्च, 2006 की याचिका; और

(ii) श्री चिरंजीव भट्टाचार्जी, सचिव, पीपल्स सोलिडेरिटी फारम, त्रिपुरा की तारीख 25 मार्च, 2006 की याचिका,

राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खण्ड (1) के अधीन प्रस्तुत की गई है, जिनमें यह अभिकथन किया गया है कि श्रीमति लाल सरकार, आसीन संसद् सदस्य (राज्य सभा) निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं;

और उक्त याचियों ने यह प्रकथन किया है कि श्री मति लाल सरकार को त्रिपुरा के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जोकि अभिकथित रूप से लाभ का पद है;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खण्ड (2) के अधीन दो पृथक निर्देशों, अर्थात् एक तारीख 27 मार्च, 2006 और दूसरा तारीख 3 मार्च, 2006 के निर्देशों के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्रीमति लाल सरकार संविधान के अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) के अधीन संसद सदस्य (राज्य सभा) होने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और निर्वाचन आ ाग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का संशोधन करने के लिए संसद (निरर्ह निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त, 2) को प्रकाशित कर दिया गया था;

और संसद (निरर्ह निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खण्ड (ii) द्वारा 4 अप्रैल, 1959 से यथा अंत:स्थापित संसद (निरर्हता निवारण) अधिनि , 1959 की धारा 3 के खण्ड (ट) द्वारा त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष के पद को अन्य पदों के साथ विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे पद रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा;

और निर्वाचन आ ग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि ऊपर उल्लिखित याचिकाओं में उठाया गया श्रीमति लाल सरकार की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्र व से हट गई है;

अत:, अब, मैं, ए .जे. अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खण्ड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह वि श्चय करता हूं कि श्रीमति लाल सरकार, त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति के कारण, जैसा कि ऊपर उल्लि व्रत दो याचिकाओं में अभिकथन किया गया है, कि संविधान के अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) उप-खण्ड (क) के अधीन संसद सदस्य (राज्य पा) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है।

भारत का राष्ट्रपति

27 सितम्बर, 2006.

[फा. सं. एच. 11026 (24)/2006-वि. II]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102((क) के अधीन संसद सदस्य श्रीमति लाल सरकार की अभिकथित निरर्हता ।

2006 का निर्देश मामला सं. 12 और 25

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

ये भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन प्राप्त तारीख 27 मार्च, 2006 और 30 मार्च, 2006 के पृथक निर्देश हैं, जिनमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्रीमति लाल सरकार संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन राज्य सभा के सदस्य होने के लिए रर्हित हो गए हैं।

2. ऊपर उल्लिखित निर्देश, दो याचिकाओं, अर्थात् पहली श्री रतन लाल नाथ, विपक्षी नेता, त्रिपुरा विधान सभा की तारीख 15 मार्च, 2006 की और दूसरी श्री चिरंजीव भट्टाचार्जी, सचिव, पीपल्स सोलिडेरिटी फारम, त्रिपुरा की तारीख 25 मार्च, 2006 की याचिका से उद्भूत हुए हैं। दोनों याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने श्रीमति लाल सरकार (प्रत्यर्थी) की अभिकथित निरर्हता के सामान्य प्रश्न को इस आधार पर उठाया है कि उन्हें त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था, जो याचियों के अनुसार एक लाभ का पद है और उन्होंने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी ने, उक्त पद पर उसकी नियुक्ति के कारण अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हता उपगत की है।

3. चूंकि किसी याचिका में प्रत्यर्थी की उक्त पद पर नियुक्ति की तारीख और नियुक्ति के निबंधन और शर्तों के संबंध में ब्यौरे अंतर्विष्ट नही थे, इसलिए आ ने याचियों को, इन पहलुओं पर विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सूचनाएं जारी की। किसी सदस्य की किसी पद पर नियुक्ति की तार यह अवधारित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि क्या मामला अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति क अधिकारिता के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा [देखिए निर्वाचन आयोग बनाम साका वेंकटा राव (एआईआर 1953 पसी 201); बृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एस सी 1892); निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 ससी 1609)] यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की ांच कर सकते हैं, जिन पर संसद सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, नियुक्त किया जाता है। इसलिए याचियों को संबंध में विनिर्दिष्ट सूचना 28-4-2006 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।

4. याचियों ने सूचना के उत्तर प्रस्तुत किए, जिनमें यह कथन किया गया था कि प्रत्यर्थी को 1-7-2005 को त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस संबंध में 5-7-2005 को त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति भी प्रस्तुत की।

5. चूंकि आयोग का यह समाधान हो गया था कि यह एक निर्वाचन-पश्च पद पर नियुक्ति का मामला था, इसलिए उसने प्रत्यर्थी को एक सूचना जारी करके, 29-5-2006 तक उसे उत्तर फाइल करने के लिए कहा। तारीख 25-5-2006 को प्रत्यर्थी ने एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह कथन किया गया था कि वह उस समय संसद् के चालू सत्र में उपस्थित होने के लिए 23-5-2006 तक दिल्ली में होगा, और उसे याचिका का उत्तर फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए त्रिपुरा की यात्रा करनी पड़ेगी। उसने यह कथन किया कि उसे उत्तर फाइल करने के लिए "एक लम्बा समय" चाहिए। आयोग ने अनुरोध पर विचार किया और उसे 7-7-2006 तक का समय प्रदान किया। प्रत्यर्थी ने 6-7-2006 को एक प्रारम्भिक उत्तर फाइल किया, जिसमें यह कथन किया गया था कि उसने कोई वेतन, मानदेय या किसी प्रकार के भत्ते या किसी भी रूप में किसी प्रसुविधा का कोई लाभ नहीं लिया है। उसने इस आरोप से भी इंकार किया कि उसके द्वारा धारित पद लाभ का पद था।

6. इस प्रकार जब यह मामला आगे और कार्रवाई किए जाने के लिए आयोग के विचाराधीन था उस समय, 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18-8-2006 को अधिसूचित कर दिया गया था । इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21-8-2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी। संशोधन अधिनियम द्वारा, अन्य पदों के साथ, "त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1966 के अधीन गठित एक निकाय त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष" के पद को मूल अधिनियम की धारा 3(ट) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा। मूल अधिनियम के इस संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है।

7. 2006 के ऊपर उल्लिखित संशोधन अधिनियम का वर्तमान निर्देश मामले से सीधा संबंध है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ट) के उपबंधों को 4-4-1959 से प्रवृत्त किया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन, संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप में घोषित करने के लिए संशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना [1970(2)एससीआर 838] में उच्चतम न्यायलय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले (1980 का 4) में, आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त प्रवर्गों के अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में, आयोग ने अपनी तारीख 21-5-1981 की राय में यह मत व्यक्त किया कि निरर्हताएं, यदि कोई थीं, उनके मामलों में हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है । इसी प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला [2005 का 2(जी)] में, राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में एक संशोधन पारित किया । उस मामले में भी आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता, यदि कोई थी, विधि के संशोधित उपबंधों के आधार पर हट गई है । पुन:, हाल ही में एक अन्य मामले [2006 का निर्देश मामला संख्या 65(जी) से 70(जी)] में मणिपुर के 6 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित श्री वाई. मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने, संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले, मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निरर्थक हो गया है । वर्तमान मामला भी तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के समान ही है और उनकी निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध पूर्ण रूपेण इस मामले को लागू होते हैं ।

8. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और तथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुविचारित मत है कि ऊपर पैरा 2 में विनिर्दिष्ट दो याचिकाओं में उठाया गया श्री मति लाल सरकार की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है। तद्नुसार ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट राष्ट्रपति से प्राप्त दोनों निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि श्री मति लाल सरकार, उनकी त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर अभिकथित नियुक्ति के कारण, जैसा कि दोनों याचिकाओं में अभिकथित है, अनुच्छेद 102(1)(क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस.वाई. कुरेशी)	(एन. गोपालस्वामी)	(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 8 सितम्बर, 2006

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2006

S.O. 1699(E).—Th following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas the following petit ns, namely:

(i) petition dated the 5th March, 2006 by Shri Ratanlal Nath, Leader of Opposition, Tripura Legislative Assembly; and

(ii) petition dated th 5th March, 2006 by Shri Chiranjeeb Bhattacharjee, Secretary, Peoples Solidarity Forum, Tripura,

have been submitted to the P sident under clause (1) of article 103 of the Constitution alleging that Shri Mati Lal Sarkar, a sitting Member of Parliam t (Rajya Sabha) has become subject to disqualification;

And whereas the sa petitioners have averred that Shri Mati Lal Sarkar was appointed as Chairman of Khadi and Village Industries Board of ipura, which is alleged to be an office of profit;

And whereas the inion of the Election Commission has been sought by the President under two separate references, namely, one date he 27th March, 2006 and the other dated the 30th March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the q stion as to whether Shri Mati Lal Sarkar has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Raj Sabha) under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas durin he pendency of the proceedings before the Election Commission, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendn nt Act, 2006, amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 was enacted by Parliament and publishe ıfter the assent of the President on the 18th August, 2006;

And whereas by cl se (k) of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, as inserted with effect from the 4th April 959, *vide* clause (ii) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, the office of Cha nan of the Tripura Khadi and Village Industries Board, among others, has been specifically declared as an office the h der of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a Member of Parliament;

And whereas the lection Commission has given its opinion (*vide* Annex) that the question of alleged disqualification of Shri Ma Lal Sarkar raised in the above-mentioned petitions, has become infructuous as the alleged disqualification, if any, stanc removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006;

Now, therefore, I, P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Cons tution, do hereby decide that Shri Mati Lal Sarkar has not become subject to disqualification under sub-clause (a) of clau : (1) of article 102 of the Constitution, for being a Member of Parliament (Rajya Sabha) on account of his appointment the office of Chairman of the Tripura Khadi and Village Industries Board, as alleged in the above-mentioned two petit ıs.

27th September, 2006.

President of India

[F. No. H-11 026 (24)/2006-Leg. II]

Dr. B.A. AGARWAL, Addl. Secy.

ANNEXURE

In re:

Alleged disqualification of ri Mati Lal Sarkar, Member of Parliament under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Reference Case Nos. 12 and 25 of 2006

[R erences from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

These are two sep te references dated 27th March, 2006 and 30th March, 2006, from the President of India, under Article 103 (2) of the Cons ution, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Sh. Mati Lal Sarkar has become subject t isqualification for being Member of the Rajya Sabha under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

3140 GI/06-4

2. The above-mentioned references arose out of two petitions, one dated 15th March, 2006, from Sh. Ratanlal Nath, Leader of the Opposition, Tripura Legislative Assembly, and the other dated 25th March, 2006, from Sh. Chiranjeeb Bhattacharjee, Secretary, Peoples Solidarity Forum, Tripura. In both the petitions, the petitioners have raised the common question of alleged disqualification of Sh. Mati Lal Sarkar (respondent) on the ground that he was appointed as Chairman of Khadi and Village Industries Board of Tripura, which according to the petitioners, is an office of profit, and they have contended that the respondent has incurred disqualification on account of his appointment to the said office under Article 1002(1)(a).

3. As neither of the petitions contained the date of appointment of the respondent to the said office nor any details regarding the terms and conditions of the appointment, the Commission issued notices to the petitioners to furnish specific information on these aspects. The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 (1). It is well settled by catena of decisions of the Supreme Court [See Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609)] that under Article 103 of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members. The Petitioners were, therefore, asked to furnish specific information in that regard by 28-4-2006.

4. The petitioners submitted replies to the notice, stating that the respondent was appointed to the office of Chairman, Khadi and Village Industries Board of Tripura on 1-7-2005. They also furnished a copy of the notification issued by the Govt. of Tripura on 5-7-2005 in this regard.

5. As the Commission was satisfied that this was a case of post-election appointment to the office, it issued notice to the respondent asking him to file his reply by 29-5-2006. On 25-5-2006, the respondent submitted an application stating that he would be in Delhi up to 23-5-2006 to attend the then on-going session of the Parliament, and would have to travel to Tripura to collect necessary documents to file reply to the petition. He submitted that he would require 'a considerable span of time' to file the reply. The Commission considered the request and granted him time upto 7-7-2006. The respondent filed a preliminary reply on 6-7-2006, stating that he had never received any salary, honorarium or any kind of allowance or any benefit of facility in any form. He denied the allegation that the office held by him was an office of profit.

6. While the matter was under consideration of the Commission for further enquiry, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Principal Act of 1959, was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006. A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006. By the Amendment Act, the office of "Chairman of the Tripura Khadi and Village Industries Board, a body constituted under the Tripura Khadi and Village Industries Act, 1966," among others, has been specifically declared under Section 3 (k) of the Principal Act, as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being, Member of Parliament. This amendment to the Principal Act has been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959.

7. The above mentioned Amendment Act of 2006, has a direct bearing on the present reference cases. As mentioned above, the provisions of clause (k) of Section 3 of the Principal Act of 1959, have been brought into force with effect from 4-4-1959. It is a settled position that under Article 102(1)(a), the Parliament is empowered to declare, with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in *Smt. Kanta Kathuria* Vs. *M. Manak Chand Surana* [1970 (2) SCR 838] upholds this constitutional position. In the past also, the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect, even as enquiry into the references concerned was in progress. In the reference case (No. 4 of 1980) regarding alleged disqualification of Sh. Gaya Lal and 23 other members of the Haryana Legislative Assembly, during the pendency of the reference before the Commission, the Haryana State Legislature amended the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974, twice, by virtue of which the offices held by the said MLAs were brought under the exempted categories. In that case, the Commission, in its opinion dated 21-05-1981, held the view that the disqualifications, if any, stood removed in their cases and the reference became infructuous. Similarly, in a reference case [No. 2(G) of 2005], relating to alleged disqualification of Shri Mohd. Azam Khan for membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly, the State Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, during the pendency of the proceedings before the Commission. In that matter also, the Commission tendered its opinion to the effect that disqualification, if any, stood removed in view of the amended provisions of the law. Again, in another recent case [Reference Case Nos. 65(G) to 70(G) of 2006] on the petition of Sh. Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur, the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature, exempting the offices concerned from disqualification, and opined that the reference had been rendered infructuous. The present cases are similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provision of law removing the disqualification, if any, squarely apply in these cases.

8. Having regar o the above constitutional, legal and factual position, the Commission is of the considered view that the question of alle; l disqualification of Sh. Mati Lal Sarkar raised in the two petitions referred to in paragraph 2 above, has now become ıfructuous as the alleged disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (evention of Disqualification) Amendment Act, 2006. Accordingly, the two references from the President, referred to in p agraph 1 above, are returned with the Commission's opinion to the effect that Sh. Mati Lal Sarkar is not subject to disqual: :ation under Article 102(1)(a) on account of his appointment to the office of Chairman of the Tripura Khadi and Villa; Industries Board, as alleged in the two petitions.

Sd./-	Sd./-	Sd./-
(S. Y. Quraishi	(N. Gopalaswami)	(Navin B. Chawla)
Election Comm ıioner	Chief Election Commissioner	Election Commissioner

Place : New Del
Dated : 8th Sept nber, 2006

I ıted by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.